न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 260 / 2021

अनवान : —

1. रोहिताष कुमार पुत्र श्री अमीलाल जाति जाट आयु 45 वर्ष निवासी घोटड़ाखालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री रोहताश कुमार शर्मा प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 18-7-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटड़ाखालसा के खाता संख्या 9 / 6 की कुल 19.4490है0 बारानी एवं ग्राम किकराली के खाता संख्या 21 / 5 की कुल 5. 4510है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी के 1 / 6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम रोहताष दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रोहिताष कुमार है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम रोहिताष कुमार पुत्र अमीलाल ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त दोनों खातो में रोहताष दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज में नाम रोहिताष कुमार पुत्र अमीलाल है। अतः प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:50 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस को श्रवण किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड तथा प्रमाण पत्र सरपंच में सही नाम रोहिताष कुमार पुत्र अमीलाल ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही रोही मौजा घोटडाखालसा के खाता संख्या 9/6 की कुल 19.4490है0 बारानी एवं ग्राम किकराली के खाता संख्या 21/5 की कुल 5.4510है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी के 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में **प्रार्थी के नाम रोहताष की जगह सही नाम** रोहिताष कुमार पुत्र अमीलाल **दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।** यदि निकट भविष्य में प्रार्थी के रोहताष से कोई आपाराधिक रिकार्ड अथवा किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम रोहताष पुत्र अमीलाल ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 18-7-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:50 IST
Reason: SelfAttested